TENDOR DOCUMENT
fufonk nLrkost

FOR THE WORK
कार्य हेतु

विभागीय कार्यो के लिये सामग्री प्रदाय

कार्यालय,
वनमण्डलाधिकारी, सा. वन मण्डल टीकमगढ़ (म.प्र.)

निविदा आमंत्रण

कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी, सा. वन मण्डल टीकमगढ़ म.प्र.

वर्ष 2025–26 सामग्री प्रदाय हेतु
निविदा शर्तें
भाग–1

1 निविदा प्रपत्र म.प्र.शासन की वेबसाईट **https://mptenders.gov.in** से डाउनलोड करें।

2 यह निविदा सा. वन मण्डल टीकमगढ़ म.प्र. अंतर्गत सामग्री क्रय हेतु आमंत्रित की जा रही है।

3 सामग्री क्रय हेतु निविदा को निर्धारित प्रारूप में वेबसाईट **https://mptenders.gov.in** पर ऑन–लाईन पद्धति से प्रस्तुत किया जाना है।

4 निविदा ऑनलाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र	विवरण	दिनांक	समय
01	Document Sale Start Date	12/05/2025	3.30 PM
02	Bid Submission Start Date	15/05/2025	3.30 PM
03	Bid Submission End Date	19/05/2025	2.00 PM
04	Bid Opening Date	23/05/2025	2.00 PM

5 यदि निविदा खुलने की दिनांक को अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा खोली नहीं जा सकती है तो निविदांए आगामी कार्य दिवस पर दोपहर 3.30 पर खोली जायेगी।

6 **प्रकिया–1:** निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये राशि 1000.00 (रूपयेः एक हजार रूपये मात्र) हैं तथा अमानत की राशि रू. 1,00,000.00 (रूपयेः एक लाख रूपये मात्र) हैं। इन्हें ऑनलाईन जमा किया जाना हैं। जमा की दोनों रसीदों को निविदा के साथ अपलोड करना हैं।

उपरोक्तानुसार निविदा प्रपत्र की मूल्य एवं सुरक्षा निधि राशि प्राप्त होने पर ही फर्म को प्रक्रिया–2 के लिए योग्य माना जायेगा।

चयनित निविदाकार को कार्य आदेश जारी होने के **पूर्व रू. 500.00 के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध कर सामग्री की 5 प्रतिशत सत्यंकार की राशि का एफ.डी.आर. वनमण्डलाधिकारी, सा. वन मण्डल टीकमगढ के पक्ष में जारी कराकर जमा कराना होगा अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी।**

7 **प्रक्रिया–2:** तत्पश्चात उपरोक्त प्रक्रिया 1 में योग्य पायी जाने वाली फर्मो की ही तकनीकि निविदा देखी जावेगी। तकनीकि निविदा के भाग–2 में दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज स्केन कर अपलोड किये जाने हैं।

8 **प्रक्रिया–3:** तत्पश्चात उपरोक्त प्रक्रिया 2 में योग्य पायी जाने वाली फर्मो की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी। तकनीकि निविदा में भाग–2 में दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज स्केन कर अपलोड किये जाने हैं। वित्तीय निविदा को एक्सल शीट में ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना है।

भाग–2

तकनीको निविदा की अर्हकारी शर्त

1 संस्था द्वारा पिछले दो वित्तीय वर्षो (2023–24, 2024–25) में मान्यता प्राप्त संस्था हेतु उपयोगी निविदा में दर्शित सामग्री का प्रदाय किया हों। तो संबंधित संस्था का कार्य आदेश/प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रमाण स्वरूप अपलोड करें।

2 पिछले प्रत्येक दो वित्तीय वर्षो (2023–24, 2024–25) में न्यूनतम 1.00 करोड़ प्रतिवर्ष का टर्न ओवर का होना अनिवार्य हैं। **फर्म के टर्न ओव्हर की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं।**

3 निविदा म भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय संस्था से कभी भी ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बाबत् निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो रूपये 100.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर अपलोड करें। (निविदा में दिए प्रारूप अनुसार)

4 निविदा के साथ निम्नांकित दस्तावेजों की स्केन प्रति जिस पर फर्म के सील सहित हस्ताक्षर होने चाहिए निविदा के साथ अपलोड करें:–

क. जी.एस.टी.प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

आयकर कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।

ग. फर्म का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

5 संबंधित फर्म का पी.डब्ल्यू.डी. में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है।

6 संबंधित फर्म के पास ई.पी.एफ.ओ. का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, विगत 03 माह की जमा चालान की प्रति लगाना अनिवार्य रहेगा।

7 संबंधित फर्म के पास ई.एस.आई.सी. का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, विगत 03 माह की जमा चालान की प्रति लगाना अनिवार्य रहेगा।

8 पिछले दो ऐसेसमेंन्ट वर्ष (2023–24, 2024–25) का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा का प्रमाण–पत्र की छायाप्रति अपलोड करें।

9 निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी। प्रपत्र का मूल्य रूपये 1000.00 वापसी योग्य नहीं हैं।

10 संस्था द्वारा पिछले 02 वित्तीय वर्ष 2023–24, 2024–25 किसी भी वन मण्डल में भवन निर्माण सामग्री प्रदाय की गई हो तो संबंधित संस्था कार्य आदेश/प्रमाण पत्र की छायाप्रति अपलोड करें।

11 संबंधित फर्म के पास सामग्री सप्लाय से संबंधित रेत, गिट्टी, सीमेंट की एन.ए.बी.एल. द्वारा प्रमाणित टेस्ट रिपोर्ट होना अनिवार्य है।

12 संबंधित फर्म के पास गोबर खाद सप्लाय के पूर्व की एन.ए.बी.एल. द्वारा प्रमाणित टेस्ट रिपोर्ट होना अनिवार्य है।

13 यदि निविदा की शर्ता एवं दिनांक में यदि कोई संशोधन किये जाने की स्थिति निर्मित होती है तो इसकी सूचना वेबसाईट **https://mptenders.gov.in** एवं वन विभाग की वेब–साईट **www.mpforest.gov.in** पर ऑनलाईन की जावेगी। इस हेतु पृथक से समाचार पत्रों में संशोधन की सूचना जारी नहीं की जावेगी।

निम्नानुसार दस्तावेजों फर्म की सील एवं हस्ताक्षर सहित स्केन कापी अपलोड की जाना हैं।

क्र.	विवरण
1	निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 1000.00 (रूपयेः एक हजार रूपये मात्र) जमा की रसीद
2	अमानत की राशि रूपये 100,000.00 (रूपयेः एक लाख रूपये मात्र) जमा की रसीद
3	संस्था द्वारा पिछले दो वित्तीय वर्षो में मान्यता प्राप्त संस्था हेतु उपयोग निविदा में दर्शित सामग्री प्रदाय किया हो। संबंधित संस्था का कार्य आदेश/प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रमाण स्वरूप अपलोड करें।
4	पिछले प्रत्येक दो वित्तीय वर्षो (2023–24, 2024–25) में न्यूनतम 1.00 करोड प्रतिवर्ष का टर्न ओवर का होना अनिवार्य है।
5	निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय संस्था से कभी भी ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बाबत् निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो रूपये 100.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर अपलोड करें। (निविदा में दिए प्रारूप अनुसार)
6	जी.एस.टी. प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
7	आयकर कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
8	फर्म का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें। (गुमास्ता)
9	पिछले दो ऐसेसमेंन्ट वर्ष (2023–24, 2024–25) का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR)जमा का प्रमाण–पत्र की छायाप्रति अपलोड करें।
10	प्रपत्र ए–1

भाग–3
निविदा की अन्य शर्ते

1 सफल निविदाकर्ता को वन विभाग, सा. वन मण्डल टीकमगढ़ म.प्र. के साथ एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध की शर्तो के उल्लंघन पर सुरक्षा निधि राशि को जप्त किया जा सकेगा।

2 पात्र पाई गयी संस्था से प्रथमतः वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए अनुबंध किया जाएगा।

3 सा. वन मण्डल टीकमगढ़ म.प्र. द्वारा फर्म की कार्य क्षमता एवं गुणवत्ता को देखते हुए, अनुबंध की अवधि को आपसी सहमति से अधिकतम 01 वर्ष ओर के लिए बढ़ाया भी जा सकता है।

4 सामग्री का प्रदाय संतोषजनक न होने या सफल निविदाकर्ता द्वारा शतो का पालन नहीं करने की स्थिति में सफल निविदाकर्ता का आदेश सा. वन मण्डल टीकमगढ़ म.प्र. द्वारा निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर राशि जप्त की जावेगी। इसमें जो भी आर्थिक हानि होगी उसकी वसूली स्वीकृत निविदाकर्ता से की जावेगी। ऐसी परिस्थिति में भुगतान से कटौति का अधिकार वनमण्डलाधिकारी सा. वन मण्डल टीकमगढ़ म.प्र. के विवेकाधिकार पर सुरक्षित रहेगा।

5 विलम्ब से सामग्री प्रदाय करने पर निम्नानुसार दंड अधिरोपित किया जा सकेगा।
क. विलम्बः– संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा दिये गये मांग पत्र अनुसार समय सीमा (15+7 दिवस) मे सामग्री प्रदाय न किये जाने पर सामग्री का 5 प्रतिशत दंड अधिरोपित किया जा सकेगा।

6 सामग्री स्वीकृत स्पेसिफिकेशन के अनुसार प्रदाय करनी होगी। आदेशित सामग्री स्पेसिफिकेशन अनुरूप न होने या निर्धारित गुणवत्ता से कम होने पर सफल निविदाकर्ता को उनके व्यय पर वापस मंगानी होगी। कोई भी इंक डुप्लीकेट या मूल निर्माता कंपनी की न होने पर निविदाकर्ता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। प्रत्येक सामग्री की सप्लाई पर कम से कम एक वर्ष की रिप्लेसमेंट गांरटी रहेगी।

7 उक्त सामग्री सा. वन मण्डल टीकमगढ़ म.प्र. के परिक्षेत्र टीकमगढ़, जतारा, बल्देवगढ़, निवाड़ी, ओरछा एवं अभ्यारण्य ओरछा के वन क्षेत्रों में प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिए आदेश के अनुसार आदेशित स्थल पर सामग्री प्रदाय की जानी होगी।

8 प्रदाय हेतु ई–निविदा में दर्शित मात्रा पूर्णतः अनुमानित है, जिसमें परिवर्तन हो सकता है। मात्रा में परिवर्तन से संबंधित कोई भी विवाद मान्य नहीं होगा। निविदा में दर्शित सामग्री क्रय करने अथवा नहीं करने का पर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

9 निविदा दरें कार्य स्थल तक परिवहन, लोडिंग एवं अनलोडिंग व्यय व रायल्टी सहित होगी।

10 भुगतान राशि से देय करों की कटौतो की जावेगी ।

11 निविदाकार का म0प0 में पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीयन निविदा प्रकाशन के पूर्व का होना अनिवार्य है। उसके पास जी.एस.टी. नंबर होना चाहिये। फर्म पंजीकरण/सामग्री की डीलरशीप प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

12 सामग्री का प्रदाय, आदेश जारी होने के, 15 दिवस के अन्दर आदेशित स्थल तक परिवहन करना होगा। 15 दिवस के अन्दर सामग्री प्रदाय नहीं करने की स्थिति में पुनः 07 दिवस में सामग्री प्रदाय करने हेतु नोटिश जारी किया जावेगा। उसके पश्चात यदि आपके द्वारा सामग्री प्रदाय नहीं की जाती है तो उस स्थिति में अन्य निविदाकारों से क्रय समिति की अनुशंसा पर सफल निविदाकार (L1) की दर पर सामग्री क्रय की जा सकती है।

13 प्रत्येक सामग्री/Item के लिए सफल निविदाकार का चयन न्यूनतम दर L1 के आधार पर किया जावेगा। अन्य निविदाकार यदि सामग्री प्रदाय करने के इच्छुक है तो L1 दर पर सामग्री प्रदाय करने हेतु कार्यालय मे Empanel (सूची बद्ध) करने हेतु आवेदन कर सकते है। तत्संबंध मे क्रय समिति की अनुशंसा पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

14 सामग्री की क्वालिटी एवं मात्रा का सत्यापन उप वनमण्डलाधिकारी/परिक्षेत्राधिकारी द्वारा किया जावेगा। सत्यापित मात्रा के अनुसार भुगतान होगा। यदि सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा सामग्री की गुणवत्ता के

संबंध में कोई भी प्रमाण–पत्र/दस्तावेज या अन्य जानकारी मांगी जाती है तो निविदाकार को तत्काल संबंधित सत्यापनकर्ता को प्रदाय करना होगा ।

15 प्रदाय स्थल पर सामग्री को ऐसा रखा जावेगा, जिससे मापन में सुविधा हो ।

16 सफल निविदाकार द्वारा इन शर्तो में से किसी का भी उल्लंघन करने पर या शासन को क्षति होने पर प्रतिभूति की राशि राजसात कर ली जावेगी तथा प्रदायकर्ता का नाम काली सूची में दर्ज करने एवं निविदा करारनामा समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी। ऐसी स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा किसी प्रकार का राजनैतिक या अनैतिक दबाव नहीं डाला जायेगा ।

17 निविदा पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर सकारण निरस्त करने का पूर्ण अधिकार वनमण्डलाधिकारी सा. वन मण्डल टीकमगढ़ म.प्र. के पास सुरक्षित रहेगा।

18 निविदा दर स्वीकृत होने पर 500/– रू. का स्टाम्प पेपर पर अनुबंध किया जाना होगा।

19 किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति निविदा पत्र के साथ जिस व्यक्ति के नाम से निविदा भरी जा रही है उसके द्वारा हस्ताक्षरकर्ता को दिया गया मुख्तारनामा जो 1000/– रू. के स्टांप पेपर पर मान्य होगा, निविदा के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी ।

20 जो निविदा मान्य नहीं होगी उनकी संत्यकार राशि नियमानुसार लौटा दी जावेगी।

21 गौण खनिज प्रदाय में निविदाकार की खनिज संसाधन विभाग द्वारा जारी रॉयल्टी परमिट (अभिवहन पास) देना आवश्यक है। निविदाकार को गौण खनिज की मात्रा के आधार पर शासन को देय होने वाली रॉयल्टी का भुगतान करना आवश्यक होगा।

22 स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि पर किसी भो प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

23 सामग्री की गुणवत्ता हेतु मापदंड आई.एस.आई. मार्क/लोक निर्माण विभाग के वर्तमान में प्रचलित मैन्युअल/म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप होंगे। आवश्यकता पड़ने पर या मांग करने पर निविदाकर्ता को सामग्री की गणत्ता के संबंध में सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

24 सफल निविदाकर्ता को प्रत्येक सामग्री का आवश्यकतानुसार सेम्पल प्रस्तुत करना होगा। सामग्री के सेम्पल का कोई मूल्य देय नहीं होगा।

25 दरें स्वीकृत होने पर Specification अनुसार ही सामग्री प्रदाय की जानो होगी।

26 सामगो के क्रय आदेश आवश्यकतानुसार संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा जारी किये जावेंगे। जिसमें सामग्री प्रदाय करने हेतु एफ.ओ.आर. स्थल दर्शाया जावेगा। प्रदायकर्ता को सामग्री एफ.ओ.आर. स्थल तक पहुंचा कर देना होगा।

27 निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उपस्थित होने पर वनमण्डलाधिकारी सा. वन मण्डल टीकमगढ़ म.प्र. का निर्णय अंतिम होगा।

28 निविदा विषयक विवाद में अंतिम निर्णय सा. वन मण्डल टीकमगढ़ म.प्र. का होगा।

29 समस्त विवाद का न्यायालयोन क्षेत्र टीकमगढ़ रहेगा।

<u>प्रपत्र ए–1</u>
<u>(निविदा प्रपत्र)</u>

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
सा. वन मण्डल टीकमगढ़ म.प्र.

विषयः– सामग्री क्रय हेतु निविदा वर्ष 2025–26 बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारी संस्था की जानकारी निम्नानुसार हैः–

क्र.	विवरण	
1	फर्म का नाम	
2	पत्र व्यवहार का पता	
3	फर्म के प्रतिनिधि का नाम	
4	पदनाम	
6	मोबाईल नं. **(Whats App वाला)**	
7	लेंडलाईन नं.	
8	ई–मेल आई.डी.	

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निविदा के भाग ''1'', ''2'', ''3'', ''4'' में दर्शित शर्तो के अनुसार उपयोगी ई–निविदा में दर्शित सामग्री क्रय हेतु निविदा वष–2025–26 का कार्य पूर्णतः करने को अपनी सहमति प्रदान करते है।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील